लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 18/ 2023
GCMS NO. : 2023/73

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा	बनाम	अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 03–11–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 17.08.2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 60 एफ 515933) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 03.10.2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 20.10.2023 को अपीलार्थी उपस्थित रहे। प्रत्यर्थी [illegible] 40(1) आरटीआई/ 2023/ 270 दिनांक 06.10.2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न अपीलार्थी [illegible] की गई सूचना पेश कर अवगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2023 से वांछित सूचना के सन्दर्भ में अपीलार्थी को पत्रांक 40(1) आरटीआई/ 2023/ 254 दिनांक 21.08.2023 से डाक द्वारा अवगत कराया गया है।

आज दिनांक 03–11–2023 को अपीलांट दौराने सुनवाई अनुपस्थित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 17.08.2023 को प्रस्तुत कर यह सूचना चाही कि "राजस्व मण्डल अजमेर के मुकदमा नंबर 942/2022 सरकार बनाम राजीव में निर्णय दिनांक 16.08.2022 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर करने हुई देरी के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 7525/2023 स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजीव पिता ताराचन्द कोठारी, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इस सन्दर्भ में यह सूचना दे कि राजस्थान उच्च न्यायालय में समय पर वाद दायर नही होने के लिये कौन कौन कर्मचारी दोषी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है संपूर्ण कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये।" अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 40(1) आरटीआई/ 2023/ 254 दिनांक 21.08.2023 डाक से प्रेषित किया जाना जाहिर किया है। रेस्पोडेंट लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आशय से खारिज किया गया है कि "अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रुप में है, आर.टी.आई. के प्रावधानो में प्रश्नोत्तर के रुप में चाही गई सूचना देने का प्रावधान नही [illegible] सूचना अपीलार्थी को प्राप्त नही होने के कारण यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested

8 SC
9 F

अतः अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि उनके पत्रांक 40(1) आरटीआई/ 2023/ 254 दिनांक 21.08.2023 की प्रति पुनः जरिये डाक तामिल कुनिन्दा के माध्यम से अपीलार्थी को तत्काल प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 13:17:36 IST
Reason: SelfAttested